रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-30/2019/519/22-2-2019-17(240)/2013
लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी चन्द्रिका (बन्दी संख्या-15579) पुत्र श्री छंगा,** जो नि0- मोहार, थाना-कल्यानपुर, जनपद- फतेहपुर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-466/1975 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर के आदेश दिनांक 12.05.1977 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया तथा बन्दी की वृद्धावस्था (दिनांक 24.10.2017 को आयु 78 वर्ष होने) बंदी द्वारा दिनांक 24.10.2017 तक 18 वर्ष 10 माह 08 दिन अपरिहार एवं 25 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा काटने, संतोषजनक जेल आचरण, मेडिकल बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आजीवन कारावास के बंदियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में समस्त प्रदेशों हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-30/2019/519(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in